

सं. मानू/प्रशासन/एफ.102/2022-23/142

दिनांक : 27.04.2023

कार्यालय आदेश

विषय : मानू – प्रशासन – विश्वविद्यालय भवन समिति, संरचना एवं नामांकन के पुनर्गठन के संबंध में।
 संदर्भ : दिनांक-27.04.2023 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

<< :: >>


कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय भवन समिति के पुनर्गठन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।
 समिति की संरचना निम्न प्रकार से है :

1.	कुलपति	प्रो.सैयद ऐनुल हसन	अध्यक्ष
2.	वित्त अधिकारी	प्रो.सैयद मो.हसीबुद्दिन कादरी	सदस्य
3.	प्रयोगकर्ता विभाग के प्रतिनिधि		सदस्य
4.	कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर	प्रो.सिद्दिकी मो.महमूद, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संकाय	सदस्य
		प्रो.शकील अहमद, विज्ञान संकाय	सदस्य
5.	सीपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधि जो कार्यपालक इंजीनियर के पद से न्यून पद के नहीं हो	श्री.पी.वी.रामा राव, कार्यकारी इंजीनियर, प्रभाग-I, सीपीडब्ल्यूडी हैदराबाद	सदस्य
6.	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के वरिष्ठ वास्तुविद्	डॉ.डी.विजय किशोर, प्रोफेसर वास्तुकला, योजना एवं वास्तुकला संकाय, जवाहर लाल नेहरू वास्तुकला एवं ललित कला विश्वविद्यालय(जेएनएफएयू), हैदराबाद	सदस्य
7.	इंजीनियरिंग महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष	डॉ.जेड.ए.रहीम, विभागाध्यक्ष, सिविल, मानू पॉलिटिकनीक	सदस्य
8.	विभागाध्यक्ष, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग	डॉ.मो.यूसुफ खान, प्रधानाचार्य, पॉलिटिकनीक, हैदराबाद	सदस्य
9.	विश्वविद्यालय इंजीनियर(अभियंता)	श्री.एस.नागेश्वर रेड्डी, कार्यपालक अभियंता, मानू	सदस्य-संयोजक
10.	कुलसचिव	प्रो.एस.के.इशियाक अहमद	सदस्य सचिव

2. विशेष अतिथि के रूप में दो अतिरिक्त सदस्यों को उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ सहयोजित किया जा सकता है।

3. विचारार्थ विषय :

- (क) भवन समिति आयोग को प्रस्तावित विभिन्न भवन परियोजनाओं की योजनाओं तथा अनुमानों को अंतिम रूप देने और स्वीकृत योजनाओं के अनुमानों के अनुसार भवनों के निर्माण को पूर्ण तथा सुनिश्चित करने और विश्वविद्यालय के नए निर्माण, विस्तार और नवीनीकरण कार्यों के लिए प्रस्तावों और बजट अनुमानों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सरकार तथा विश्वविद्यालय के अपने संसाधनों से प्राप्त निधि का उपयोग।
- (ग) कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर सौंपी गई ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करना तथा;
- (घ) समिति को सौंपे गए कार्यों और उत्तरदायित्वों को सँभालने के लिए एक या अधिक समितियों का गठन करना;



मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
A Central University under Ministry of Education
Government of India



4. समिति वर्ष में कम से कम दो बार, या जब भी आवश्यक हो, बैठक करेगी।
5. भवन समिति की बैठक आयोजित करने के लिए भवन समिति के 50% सदस्यों की गणपूर्ति होगी। तथापि, कम से कम दो इंजीनियरों तथा एक वास्तुविद्(आर्किटेक्ट) की उपस्थिति जरूरी है।
6. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए टीए/डीए का भुगतान वर्तमान में लागू विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार किया जाएगा।
7. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

कुलसचिव

कुलसचिव / Registrar

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu University
गञ्जीबौली, हैदराबाद-५०० ०३२.
Gachibowli, Hyderabad-500 032.

सेवा में

इंजीनियरिंग अनुभाग

प्रति:

1. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/ ओएसडी-I/ओएसडी-II/जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय
2. संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निदेशक, अनुभाग/विभाग प्रभारी आदि(मुख्यालय, सैटलाइट कैम्पस आदि)
3. निदेशक, सीआईटी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
4. संबंधित फाइल